



UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-VII

OCTOBER TO DECEMBER, 2017

ISSUE-IV



**N
E
W
S
L
E
T
T
E
R**

A quarterly newsletter published by
Uttarakhand SLSA

High Court Campus, Nainital – 263001, Telefax : 05942 – 236552,
e-mail : uksanainital@gmail.com, slsa-uk@nic.in,
website : www.slsa.uk.gov.in

TOLL FREE NO. 1800 180 4000

NATIONAL LOK ADALATS

As per directions of National Legal Services Authority and under the valuable guidance of Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, a National Lok Adalat was organized in the State of Uttarakhand from Tehsil Level to District Level in all the Courts and Quasi Judicial Authorities, including the Hon'ble High Court on 09.12.2017. In the said National Lok Adalat, apart from the civil and criminal cases, the matters pertaining to labour disputes, revenue disputes, land acquisition act, family disputes, MACT, NI Act, water and electricity and all such matters which can be settled amicably were taken up.

In the said National Lok Adalat, total number of **26,766** cases were listed and out of them **5,860** cases were settled amicably. Amount to the tune of **Rs. 15,72,39,042/-** was also settled.



Proceedings of NLA at Hon'ble High Court



Litigants and Advocates during NLA



Registrars of the Hon'ble High Court trying amicable settlement



Chairperson, DLSA, Almora during NLA

LEGAL LITERACY AND AWARENESS DRIVE AT STATE LEVEL

In order to propagate legal awareness among the common people about their legal rights, Government welfare schemes available to them and the legal activities being run by the legal services institutions, the Uttarakhand State Legal Services Authority first identified common places in District-Almora (Manila), District-Bageshwar (Pharsali), District-Chamoli (Kulsari), District-Dehradun (Rishikesh), District-Haridwar (Niranjanpur), District-Tehri Garhwal (Ghansali) and District-Udham Singh Nagar (Mohammadpur Bhudiya) and then organized Mega Legal Literacy and Awareness Camps thereon in coordination with more than 30 Government Departments. These camps were presided by the Hon'ble Executive Chairman, Uttarakhand SLSA and various authorities from different department sensitized the common people about their legal rights and also redressed their grievances at the spot. In these mega camps, District Administration also issued



Hon'ble Executive Chairman, UKSLSA during Mega Camp at Dehradun



Hon'ble Executive Chairman sensitizing the common people

the Aadhar cards, disability certificate, pension certificates to the Widows and Old age Persons. The medical check-up was done on the spot and medical equipments were also distributed to the needy people. The mega camps are also proposed to be organized in the remaining districts of the State in near future.



Hon'ble Executive Chairman during Mega Camp at Tehri Garhwal



Hon'ble Executive Chairman between the common people



Hon'ble Executive Chairman interacting with common people

TRAINING TO THE PANEL LAWYERS

To enhance the working skills and for ensuring accountability of panel lawyers towards the works assigned to them, the Uttarakhand State Legal Services Authority had conducted training programmes as per the second training module approved by NALSA, in different phases for the districts of Kumaon Region at Nainital. In the said training programmes, total 113 panel lawyers engaged by 06 DLSAs of Kumaon Region have been imparted training by the Member Secretary, Uttarakhand State Legal Services Authority and two Master Trainers (Advocates) who had undergone training at Delhi.



Member Secretary, UKSLSA imparting training to the Panel Lawyers



Master Trainer delivering lecture



Master Trainer unveiling provisions of Training Module

LEGAL AWARENESS CAMPAIGN THROUGH MOBILE VAN

To provide legal aid and advice to the common people at their doorsteps, legal awareness and sensitization camps are being organized through mobile van throughout the State at various villages of different districts. During the months of October, 2017 to December, 2017 State Legal Services Authority's mobile van visited District-Rudraprayag, Udham Singh Nagar and Haridwar covering 60 places whereby 4,912 persons were benefited. Also, in the mobile lok adalat 06 cases were taken up.

In the said camps documentary films on the subjects of mediation, lok adalat and legal aid prepared by National Legal Services Authority and State Legal Services Authority were displayed. The queries raised by the

villagers were also resolved on the spot. The applications were also received for legal aid which were either disposed of at the level of State Authority or were sent to the authorities concerned for appropriate and necessary action.



People watching documentary film



People getting aware about their legal rights



Distribution of legal informative booklets

LEGAL AWARENESS ON COMMEMORATIVE DAYS

Between the months of October, 2017 to December, 2017, the Mental Health Day, Constitution Day, Disability Day, International Day of Human Rights and HIV/AIDS Day were observed throughout the State. During these occasions, 216 special legal literacy and awareness camps were organized wherein 23,741 people got benefitted.

Also, the people at large were made aware about the nine schemes launched by National Legal Services Authority, by all the District Legal Services Authorities by organizing legal awareness camps, programmes and seminars.

ACTIVITIES AT DISTRICT LEVEL



Chairperson, DLSA,
Almora interacting with PLVs



Chairperson, DLSA,
Chamoli spreading awareness about legal aid programmes



Secretary, DLSA,
Dehradun during awareness camp



Secretary, DLSA,
Haridwar making students aware about child rights



Secretary, DLSA,
Nainital during training programme



Secretary, DLSA,
Pauri during Mental Health Day



Chairperson, DLSA,
Pithoragarh issuing certificate during the mega camp



Secretary, DLSA,
Uttarkashi holding Pre-Lok Adalat meeting

तेजाब हमलों पर बने कानून की जानकारी दी

उत्तरकाशी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर तेजाबी हमलों के पीड़ितों की सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज डीपी गैरोला के निर्देश पर जिला न्यायालय सभागार में कार्यशाला हुई। प्राधिकरण के सचिव हेमंत सिंह ने बताया कि एमिड पीड़ितों का मुफ्त इलाज किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद आरिफ ने एमिड हमलों की रोकथाम के लिए बने कानूनों की जानकारी दी। कार्यशाला में बताया गया कि जहां भी एमिड स्टोर किया जाता है, वहां एमिड कहां से लाया गया, किसको कितनी मात्रा में वितरित हुआ, कितना अवशेष है आदि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है। समय-समय पर उपजिलाधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए।

इस मौके पर सिविल जज अभिषेक श्रीवास्तव, एसडीएम सौरभ असवाल, शैलेंद्र नेगी, सीएमओ डा. मेजर बचन सिंह रावत, डा. एमडी वर्मा, बीपी चमोली, बीएस रावत, मनीषा नेगी, दीपक उप्पल, डा. वीके विश्वास मौजूद रहे। ब्यूरो

दिव्यांगों को आगे बढ़ने को प्रेरित करें

संवाद सहयोगी, गोपेश्वर: विश्व दिव्यांगों के लिए दिव्यांगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न करने होंगे। नवज्योति महिला कल्याण संस्थान, हिमाद समिति, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण के संयुक्त तत्वावधान में साधना शारीरिक निशक्त आश्रम मैठाणा में शिविर आयोजित किया। सिविल जज सीनियर डिजिटल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रवि प्रकाश शुक्ला ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दिव्यांग लोगों के प्रति भावनात्मक व्यवहार अमल में लाकर उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिये प्रेरित किए जाने की जरूरत है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाये जाने के लिए पहल करनी चाहिए। जिला

ने दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। हिमाद के सचिव उमाशंकर बिट्ट ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को सहायता प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में आगे लाने के प्रयास करने होंगे। नवज्योति के सचिव एमएस बिट्ट ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस मौके पर साधना आश्रम के शिवलाल स्नेही ने दिव्यांग बच्चों के लिये किये जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महिला मंगल दल अध्यक्ष सरोजनी राणा, कुलदीप किमोडी, आश्रम पट्टी के प्रधानाचार्य भरत राणा, चाइल्ड लाईन सदस्य नीरज सिंह व सुभाष कुमार, उषा देवी, मुनी देवी, सुनीता थपलियाल, सुलोचना कोटियाल, कुपाल राणा, आरती देवी उपस्थित रहे।



वरिष्ठ न्यायाधीश ने सुन आम लोगों की समस्याएं

उत्तरकाशी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शिविर में आयोजित विधिक सहायता शिविर में ग्रामीणों को कानून का पाठ पढ़ाया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज डीपी गैरोला के आदेश पर आयोजित शिविर में प्राधिकरण के सचिव हेमंत सिंह ने ग्रामीणों को कानून संबंधी जानकारी देने के साथ ही ग्रहण एवं बिजुई वर्ग के लोगों के अधिकारों के बारे में बताया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा सलाहें आ रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया गया। पुलिस की ओर से ग्रामीणों को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हो रही ठगी की जानकारी देने के साथ ही इससे सतर्क रहने की कला भी दी। ब्यूरो

ग्रामीणों को पढ़ाया कानून का पाठ

उत्तरकाशी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शिविर में आयोजित विधिक सहायता शिविर में ग्रामीणों को कानून का पाठ पढ़ाया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज डीपी गैरोला के आदेश पर आयोजित शिविर में प्राधिकरण के सचिव हेमंत सिंह ने ग्रामीणों को कानून संबंधी जानकारी देने के साथ ही ग्रहण एवं बिजुई वर्ग के लोगों के अधिकारों के बारे में बताया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा सलाहें आ रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया गया। पुलिस की ओर से ग्रामीणों को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हो रही ठगी की जानकारी देने के साथ ही इससे सतर्क रहने की कला भी दी। ब्यूरो

शिविर में लोगों को दी जानकारी

उत्तरकाशी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कलजीखाल ब्लाक के तहत ग्राम पंचायत दियूसी में विधिक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह चौहान ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा, जिला विधिक सेवाओं की जानकारी दी। आरसेटी पौड़ी के निदेशक बी.एस मर्तोल्या ने वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं को स्वरोजगार उत्पादन की जानकारी दी। उन्होंने फल पट्टी, मशरूम उत्पादन, भेड़ पालन, बकरी पालन, लघु उद्योग लगाने की विस्तार से जानकारी दी। लीड बैंक अधिकारी नंद किशोर ने स्वरोजगार अपनाने के लिए बैंक से ऋण लेने के बारे में बताया। इस मौके पर तहसीलदार एचएम खंडुड़ी, ग्राम पंचायत अधिकारी नितिन नौटियाल, एडीओ पंचायत जितेंद्र पटवाल, गोपाल सिंह जगत सिंह रावत, राहुल उप्रेती, ग्राम प्रधान पदमा देवी, शिव प्रसाद कुकरेती, धीरेन्द्र दास, मनमोहन सिंह, योगेश प्रसाद डंगवाल, पीएलबी धीरेन्द्र गुसाईं, पीएलबी जगमोहन डांगी मौजूद थे।




मानसिक बीमार लोगों के कानूनी अधिकार बताए

उत्तरकाशी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शिविर में आयोजित विधिक सहायता शिविर में ग्रामीणों को कानून का पाठ पढ़ाया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज डीपी गैरोला के आदेश पर आयोजित शिविर में प्राधिकरण के सचिव हेमंत सिंह ने ग्रामीणों को कानून संबंधी जानकारी देने के साथ ही ग्रहण एवं बिजुई वर्ग के लोगों के अधिकारों के बारे में बताया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा सलाहें आ रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया गया। पुलिस की ओर से ग्रामीणों को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हो रही ठगी की जानकारी देने के साथ ही इससे सतर्क रहने की कला भी दी। ब्यूरो



आयोजन

उत्तरकाशी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शिविर में आयोजित विधिक सहायता शिविर में ग्रामीणों को कानून का पाठ पढ़ाया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज डीपी गैरोला के आदेश पर आयोजित शिविर में प्राधिकरण के सचिव हेमंत सिंह ने ग्रामीणों को कानून संबंधी जानकारी देने के साथ ही ग्रहण एवं बिजुई वर्ग के लोगों के अधिकारों के बारे में बताया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा सलाहें आ रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया गया। पुलिस की ओर से ग्रामीणों को मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हो रही ठगी की जानकारी देने के साथ ही इससे सतर्क रहने की कला भी दी। ब्यूरो



तेजाब हमलों पर बने कानून की जानकारी दी

उत्तरकाशी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर तेजाबी हमलों के पीड़ितों की सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज डीपी गैरोला के निर्देश पर जिला न्यायालय सभागार में कार्यशाला हुई। प्राधिकरण के सचिव हेमंत सिंह ने बताया कि एमिड पीड़ितों का मुफ्त इलाज किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद आरिफ ने एमिड हमलों की रोकथाम के लिए बने कानूनों की जानकारी दी। कार्यशाला में बताया गया कि जहां भी एमिड स्टोर किया जाता है, वहां एमिड कहां से लाया गया, किसको कितनी मात्रा में वितरित हुआ, कितना अवशेष है आदि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है। समय-समय पर उपजिलाधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। इस मौके पर सिविल जज अभिषेक श्रीवास्तव, एसडीएम सौरभ असवाल, शैलेंद्र नेगी, सीएमओ डा. मेजर बचन सिंह रावत, डा. एमडी वर्मा, बीपी चमोली, बीएस रावत, मनीषा नेगी, दीपक उप्पल, डा. वीके विश्वास मौजूद रहे। ब्यूरो

नौनिहालों ने पेंटिंग में दिखाया हुनर

गोपेश्वर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में नौनिहालों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को जिला जज प्रदीप पंत ने पुरस्कृत किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पीस पब्लिक स्कूल, राईका और श्री गुरुमाराय पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। पीस पब्लिक स्कूल के आयुष बिट्ट, एसजीआरआर की खुशी वर्तवाल तथा राईका के विवेक असवाल ने प्रथम, पीस पब्लिक स्कूल के पीयूष बिट्ट, एसजीआरआर के स्मृति मम्मई, राईका के सेमल राणा ने द्वितीय तथा पीस पब्लिक स्कूल के शुभम रावत, एसजीआरआर की नैविता नौटियाल तथा राईका के कृष्णा गडिया ने तृतीय स्थान हासिल किया।

पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला जज प्रदीप पंत ने कहा कि नौनिहालों में हुनर की कमी नहीं है, उन्हें सही रास्ता दिखाकर उनके भविष्य का संवारा जा सकता है। इसलिए अभिभावकों को भी अपने पाल्यों के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है।

इस मौके पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः 1500, 1000, तथा 500 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका पंत, सिविल जज (सीडि) रविप्रकाश शुक्ला, हर्ष वादव सिविल जज (जुडि), न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार, अधिवक्ता ज्ञानेश खेतवाल, गीता बिट्ट, बलवीर सिंह राणा, शंकर भराराल, पीस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विमल राणा, राईका के सहायक अध्यापक विजय पंत के साथ ही तमाम लोग मौजूद थे।

एसिड हमले रोकने की जानकारी दी

उत्तरकाशी: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश डीपी गैरोला के निर्देश पर जिला जज वैटक कक्ष में तेजाबी हमलों से पीड़ित व्यक्तियों के सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें एसिड हमलों को रोकने के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हेमंत सिंह राणा ने तेजाबी हमलों के विभिन्न प्रावधानों एवं पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद आरिफ ने बताया कि एमिड हमलों के रोकथाम के लिए कई प्रावधान हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षिक संस्थानों, सरकारी विभागों या ऐसे स्थानों में जहां पर एसिड की मात्रा स्टोर की जाती हो, उनसे ऐसे एसिड स्टोरेज के विषय में स्टॉक रजिस्टर पर एसिड कहां से प्राप्त हुआ, किसको वितरित हुआ, कितनी मात्रा में वितरित हुआ, कितना अवशेष है, इसके निरीक्षण के लिए संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ताकि एमिड का दुरुपयोग न हो सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हेमंत सिंह ने कार्यशाला में उपस्थित सभी पीएलबी को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में एसिड के रोकथाम के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इस मौके पर सिविल जज जुडि अभिषेक कुमार, उपजिलाधिकारी हुआ सौरभ असवाल, उपजिलाधिकारी पुरोला एसएस नेगी, मुख्य थिंकिंग अधिकारी डा. मेजर बचन सिंह, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डा. एसडी वर्मा आदि मौजूद थे।

इस मौके पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले छात्र-छात्राओं को क्रमशः 1500, 1000, तथा 500 रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबिका पंत, सिविल जज (सीडि) रविप्रकाश शुक्ला, हर्ष वादव सिविल जज (जुडि), न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार, अधिवक्ता ज्ञानेश खेतवाल, गीता बिट्ट, बलवीर सिंह राणा, शंकर भराराल, पीस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विमल राणा, राईका के सहायक अध्यापक विजय पंत के साथ ही तमाम लोग मौजूद थे।

STATISTICAL INFORMATION

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF LOK ADALATS HELD IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM OCTOBER, 2017 TO DECEMBER, 2017

S. No.	Name of DLSA's	No. of Lok Adalats Held	No. of Cases Taken up	No. of Cases Disposed off	Compensation/ Settlement Amount	Amount Realized As Fine (in Rs.)	No. of Persons Benefited in Lok Adalat
01	ALMORA	01	223	149	2,62,52,797	50,000	155
02	BAGESHWER	03	103	37	34,56,368	13,450	37
03	CHAMOLI	01	133	32	37,01,050	-	32
04	CHAMPAWAT	03	373	148	16,84,500	1,76,000	148
05	DEHRADUN	04	16219	5335	2,86,67,188	27,88,930	5400
06	HARDWAR	02	13413	2075	1,52,73,127	15,32,223	2075
07	NAINITAL	01	424	174	73,66,541	4,22,200	174
08	PAURI GARHWAL	01	315	273	87,86,170	2,79,200	273
09	PITHORAGARH	04	1089	275	68,08,888	1,11,400	275
10	RUDRAPARYAG	01	133	43	22,18,245	25,300	43
11	TEHRI GARHWAL	01	194	121	52,16,017	-	121
12	U.S. NAGAR	01	1830	351	3,89,82,480	-	351
13	UTTARKASHI	01	426	137	61,55,323	900	137
14	HCLSC, Ntl	01	258	10	32,17,800	-	10
	TOTAL :-	25	35133	9160	15,77,86,494	53,99,603	9231

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF CAMPS ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM OCTOBER, 2017 TO DECEMBER, 2017

S. No.	Name of DLSA's	No. of Camps Organized	No. of Persons Benefited in Camps
01	ALMORA	30	7143
02	BAGESHWER	35	2767
03	CHAMOLI	249	18809
04	CHAMPAWAT	21	3758
05	DEHRADUN	61	5001
06	HARDWAR	114	9060
07	NAINITAL	155	6453
08	PAURI GARHWAL	179	26032
09	PITHORAGARH	58	10183
10	RUDRAPARYAG	19	5893
11	TEHRI GARHWAL	48	2337
12	U.S. NAGAR	3162	102020
13	UTTARKASHI	436	15063
	TOTAL :-	4567	214519

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF LEGAL AID AND ADVICE/COUNSELING PROVIDED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FOR THE PERIOD FROM OCTOBER, 2017 TO DECEMBER, 2017

S. No.	Name of DLSA's	No. of Persons Benefited through Legal Aid & Advice	
		Legal Aid	Legal Advice
01	ALMORA	18	06
02	BAGESHWER	03	-
03	CHAMOLI	04	17
04	CHAMPAWAT	04	-
05	DEHRADUN	104	-
06	HARDWAR	87	01
07	NAINITAL	34	04
08	PAURI GARHWAL	22	78
09	PITHORAGARH	08	01
10	RUDRAPARYAG	-	-
11	TEHRI GARHWAL	14	02
12	U.S. NAGAR	113	-
13	UTTARKASHI	06	-
14	H.C.L.S.C., N.T.L.	46	07
15	U.K. S.L.S.A., N.T.L.	-	29
	TOTAL :-	463	145



CONTACT US

S.NO.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBERS
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary Office on Special Duty	Office: 05942-236762; Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary Office:05942-232085	Fax: 05942-237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Sh. G.K. Sharma, Chairman Sh. Shesh Chandra, Secretary	Office: 05962-231105 9456596757
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Sh. Heera Singh Bonal, Chairman Mrs. Jyotsna, Secretary	Office: 05963-221844 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli,	Sh. Pradeep Pant, Chairman Sh. Ravi Prakash, Secretary	Office: 01372-251529 9412079328
06	District Legal Services Authority, Champawat	Sh. Preem Singh Khimal, Chairman Sh. Dharmendra Kumar Singh, Secretary	Office: 05965-230915 9411327127
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Sh. N.S. Dhanik, Chairman Sh. Vivek Srivastava, Secretary	Office: 0135-520873 8958444430
08	District Legal Services Authority, Hardwar	Sh. Rajendra Singh, Chairman Ms. Meena Deopa, Secretary	Office: 01334-239780 9412071710
09	District Legal Services Authority, Nainital	Ms. Kumkum Rani, Chairman Sh. Rajeev Dhawan, Secretary	Office: 05942-237159 9411102137
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Sh. G.S. Dharamsaktu, Chairman Sh. Jayender Singh, Secretary	Office: 01368-221815 9412079408
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Sh. Rajendra Joshi, Chairman Sh. Kuldeep Sharma, Secretary	Office: 05964-228322 9411330501
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Sh. Harish Kumar Goyal, Chairman Sh. Sudheer Tomar, Secretary	Office: 01364-233796 9412079480
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Smt. Meena Tiwari, Chairman Sh. Abdul Qayyum, Secretary	Office: 01376-233424 9412077221
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Sh. B.S. Dugtal, Chairman Sh. Arun Vohra, Secretary	Office: 05944-250682 9412088088
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Sh. D. P. Gairola, Chairman Sh. Hemant Singh, Secretary	Office: 01374-226557 9412078165